



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241754
CG-DL-E-07012023-241754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944

No. 66]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

का.आ. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 3क उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि, महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय महामार्ग 66 के 332/200 कि.मी. से 367/300 कि.मी. तक के भू-खण्ड (3क) सेक्शन का निर्माण (चौड़ा करने, चार लेन का बनाने, आदी), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोकप्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, राजापुर, उप विभाग राजापुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 66 के कि.मी. 332/200 से कि.मी. 367/300 कि.मी. तक [3(क) खंड] के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रत्नागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: राजापुर					
गांव का नाम: पन्हेले तर्फे सौंदळ					
1	1147 Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0520000(हेक्टेयर)	0.0520000
गांव का नाम: वादूळ					
1	891 A Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0470000(हेक्टेयर)	0.0470000
2	891 B Part	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
3	891/C Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006000(हेक्टेयर)	0.0006000
4	892/1 Part [892/1A/2/1]	निजी	एग्रीकल्चर	0.0770000(हेक्टेयर)	0.0770000
5	892/2 Part	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0294000(हेक्टेयर)	0.0294000
6	901 Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0140000(हेक्टेयर)	0.0140000
7	902 Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0110000(हेक्टेयर)	0.0110000
8	905 Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
कुल				0.2750	0.2750

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 69(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km. 332/200 to Km. 367/300 [3(A) Section] in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Rajapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 332/200 to Km. 367/300 [3(A) section] of the National Highway No. 66 in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA		District: RATNAGIRI			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Rajapur					
Village: Panhale Tarfe Saundal					
1	1147 Part	Private	Agriculture	0.0520000(Hectare)	0.0520000
Village: Watul					
1	891 A Part	Private	Agriculture	0.0470000(Hectare)	0.0470000
2	891 B Part	Private	Non Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	891/C Part	Private	Agriculture	0.0006000(Hectare)	0.0006000
4	892/1 Part [892/1A/2/1]	Private	Agriculture	0.0770000(Hectare)	0.0770000
5	892/2 Part	Private	Non Agriculture	0.0294000(Hectare)	0.0294000
6	901 Part	Private	Agriculture	0.0140000(Hectare)	0.0140000
7	902 Part	Private	Agriculture	0.0110000(Hectare)	0.0110000
8	905 Part	Private	Agriculture	0.0240000(Hectare)	0.0240000
Total				0.2750	0.2750

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A]

RAJESH GUPTA, Director